

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला।

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय।

यादी क्रमांक: 13/10-2023 C-III (2)

दिनांक: पंचकुला, 17-5-2024

विषय:- चिकित्सा बिल, सामान्य भविष्य निधि मामले एवं अन्य प्रवृत्ति के सभी मामलों की दोहरी प्रति भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में प्रायः देखने में आया है कि जो भी चिकित्सा बिल (Medical bills), सामान्य भविष्य निधि मामले (GPF) (Final Payment, Refundable, Non-Refundable) एवं अन्य प्रवृत्ति के जो मामले निदेशालय को भिजवाए जाते हैं वह न ही दोहरी प्रति में, न ही मूल (original), न ही सत्यापित और न ही नियमानुसार निदेशालय को भेजे जाते हैं। अतः आप से अनुरोध है कि सभी मामलों को दोहरी प्रति (photo copy with original), मूल एवं सत्यापित प्रति में और नियमानुसार निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि मामले में किसी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब ना हो तथा मामले का निपटान समय पर नियमानुसार किया जा सके।

राजेश कुमार

अधीक्षक सी०-III

कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला।